I परिप्रेक्ष्य

भारतीय बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय प्रणाली संवृद्धि और वित्तीय समावेशन के लिए मजबूत और सहायक बनी रही। कारोबार सुगमता को बढ़ावा देते हुए बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करने के लिए विनियमों और समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों को संरेखित किया जा रहा है। आगे, एक समुत्थानशील वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण द्वारा समर्थित स्थिरता के साथ नवोन्मेष को संतुलित करना महत्वपूर्ण होगा।

परिचय

I.1 भले ही बढ़ी हुई अनिश्चितता के बीच संभावनाएं अस्पष्ट हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उन आघातों के प्रति अच्छी सुदृढ़ता प्रदर्शित की जो 2025 की शुरुआत में काफी हद तक प्रत्याशित नहीं थे।[1] कई प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर स्थित रही है, हालांकि वैश्विक मुद्रास्फीति की संभावना सौम्य बनी हुई है। केंद्रीय बैंक, बदलती हुई संवृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता से होकर गुजरते समय सावधानी बरत रहे हैं। वित्तीय बाजार अस्थिर हैं, जबकि जोखिमपूर्ण-आस्ति मूल्यांकन वैश्विक संवृद्धि को धीमा बनाए हुए प्रतीत होता है।[2] फिर भी, वैश्विक बैंकिंग प्रणाली मजबूत पूंजी बफर और लाभप्रदता के बदौलत सुदृढ़ बनी रही। हालांकि मौद्रिक नीति निर्माता, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की बढ़ती भूमिका और वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में बैंकों के साथ उनके जटिल संबंधों को देखते हुए वित्तीय प्रणाली में परस्पर जुड़ाव से संबंधित चिंताओं के प्रति चौकस रहते हैं।

I.2 तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत वृद्धि दर्ज की, और निकट अवधि के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जबकि मुद्रास्फीति कई वर्ष के निचले स्तर पर आकर नरम हो गई है।[3] मौद्रिक नीति तटस्थ रुख के साथ जारी रही, 2025 की पहली छमाही में 100 बीपीएस की कटौती के बाद नीति दर में 5 दिसंबर 2025 को 25 आधार अंक (बीपीएस) की कमी की गई। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत तुलन पत्र, निरंतर लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता में लगातार सुधार और उच्च पूंजी बफर के आधार पर सुदृढ़ बना रहा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भी दोहरे अंकों की ऋण वृद्धि, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और सहज पूंजी बफर के सहयोग से मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। मजबूत समष्टि-वित्त आर्थिक आधार और वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता के बदौलत, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने, कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने, और बढ़ती अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऋण प्रवाह में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए। वित्तीय समावेशन, जिम्मेदार वित्तीय नवोन्मेषों और ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रहे।

I.3 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय रिज़र्व बैंक की नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ-साथ बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय प्रणाली के लिए प्रमुख चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करता है।

---

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक (2025)। गवर्नर का वक्तव्य, 1 अक्तूबर।

[2] अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2025)। *वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट*, अक्तूबर।

[3] आर्थिक समुत्थानशीलता के लिए नीतिगत ढांचा: उभरते बाजारों और भारत का मामला, 29 अक्तूबर, 2025 को बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट, मुंबई में डॉ. पूनम गुप्ता द्वारा किया गया संबोधन।

खंड 2 उभरते हुए विनियमन और पर्यवेक्षण पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसके बाद खंड 3 में भुगतान और निपटान परितंत्र से संबंधित घटनाक्रम प्रस्तुत किया गया है। खंड 4 उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने के कारण उत्पन्न अवसरों और जोखिमों की पड़ताल करता है। बाद के खंड में प्रमुख विषयगत क्षेत्रों - वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण और जलवायु-वित्त – की चर्चा की गई है जो समावेशी विकास और प्रणालीगत सुदृढ़ता के लिए प्रासंगिक हैं। अध्याय का समापन खंड 8 में प्रस्तुत समग्र मूल्यांकन के साथ किया गया है।

2. विनियमन और पर्यवेक्षण

1.4 रिज़र्व बैंक के विनियामक प्रयास अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ नियमों को संरेखित करते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुकूल दक्षता और स्थिरता को संतुलित करना रहा है। विनियामक ढांचा पांच सिद्धांतों - आनुपातिकता, परामर्श, साक्ष्य-संचालित, सिद्धांत-आधारित और चौकसी पर आधारित है।[4] वित्तीय प्रणाली के विकास और इसके विनियामक ढांचे का परिणाम कई वर्षों के परिपत्र और निदेश हैं। विनियामक निदेशों की स्पष्टता और प्रयोज्यता को बढ़ाने, अनुपालन लागत को कम करने और इस तरह सुविधा और व्यापार सुगमता में सुधार करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने विनियमन विभाग से संबंधित 9,000 से अधिक मौजूदा परिपत्रों/ दिशानिर्देशों को 244[5] कार्य-वार मास्टर निदेशों में समेकित किया, जो 11 प्रकार की विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विशिष्ट हैं। अब अन्य विभागों के परिपत्रों और निदेशों को समेकित करने के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा, विनियामक प्रक्रिया को परामर्शात्मक बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक के भीतर एक विनियामक समीक्षा प्रकोष्ठ (1 अक्तूबर 2025 से प्रभावी) चालू किया गया है। यह प्रकोष्ठ प्रत्येक विनियमन की वस्तुनिष्ठ तरीके से व्यापक समीक्षा भी करेगा और उद्योग के फीडबैक की आवधिक समीक्षा करेगा। रिज़र्व बैंक ने अपने वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों (एसएसएम) के लिए बृहत् पर्यवेक्षी मैनुअल निर्मित किया है।

आश्वासन कार्यों पर दिशानिर्देश

1.5 रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी के लिए आश्वासन कार्यों (अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा) पर दिशानिर्देशों को समेकित करने और सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम

1.6 भारत में, प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम पूंजी प्रभार की गणना वर्तमान एक्सपोजर विधि (सीईएम) का उपयोग करके की जाती है। हालांकि सीईएम, मार्जिन वाले और बिना मार्जिन वाले लेनदेन के बीच पर्याप्त रूप से अंतर नहीं कर पाता है और इस तरह संपार्श्विक और नेटिंग के जोखिम-शमन प्रभाव को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर पाता है। वर्तमान में, बेसल III ढांचे के तहत प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम (एसए-सीसीआर) के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, जो एक अधिक जोखिम-संवेदी विधि है, के साथ अनुकूलन हेतु मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है।

क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन ढांचा

1.7 क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन (सीवीए) जोखिम, प्रतिपक्ष की क्रेडिट योग्यता में गिरावट के कारण, डेरिवेटिव और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन पर मार्क-टू-मार्केट हानि से उत्पन्न होता है। बेसल III ढांचे में संशोधन के परिणामस्वरूप, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी सीवीए ढांचे में सुधार को प्रतिबिंबित करने के लिए, 2012 में जारी सीवीए पर वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा

[4] एफआईबीएसी 2025 सम्मेलन, मुंबई में 25 अगस्त, 2025 को श्री संजय मल्होत्रा का उद्घाटन भाषण।

[5] डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण पर सात नए मास्टर निर्देश शामिल हैं।

रही है। संशोधित सीवीए ढांचा सीवीए हेज की पात्रता और उनकी पहचान की सीमा पर बारीक दृष्टिकोण प्रदान करता है, और क्षेत्र और क्रेडिट गुणवत्ता के आधार पर प्रतिपक्षों के लिए पर्यवेक्षी जोखिम भार पर अधिक संवेदी ढांचा पेश करता है।

पूंजी बाजार एक्सपोजर

I.8 विनियमित संस्थाओं के पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) को, ऐसे एक्सपोजर में शामिल अपेक्षाकृत उच्च जोखिम को देखते हुए, विभिन्न विवेकपूर्ण विनियमों के अधीन किया गया है। रिज़र्व बैंक ने, उभरती बाजार प्रथाओं के साथ दिशानिर्देशों को संरेखित करने और भारतीय कॉरपोरेट द्वारा अधिग्रहण के लिए बैंक वित्त सहित सीएमई के बैंक वित्तपोषण हेतु अधिक सक्षम ढांचा प्रदान करने के लिए पूंजी बाजार एक्सपोजर पर मसौदा निदेश जारी किए। प्रस्तावित उपायों से विवेकपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए और घरेलू बैंक की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि

1.9 वर्तमान हानि, प्रचक्रीयता की संभावित वृद्धि के कारण विलंबित दबाव पहचान में प्रावधान के परिणामों की ओर संकेत करता है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को, पूंजी प्रभाव को सुचारू करने के लिए पांच वर्ष की संक्रमणकालीन व्यवस्था के साथ, 1 अप्रैल 2027 से प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) आधारित ढांचे में स्थानांतरित होने का प्रस्ताव रखा। यह जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करने, ऋण के मूल्य निर्धारण में सुधार, बैंकों के वित्तीय विवरणियों की पारदर्शिता और तुलनीयता को बढ़ाने और क्रेडिट उत्पत्ति में अनुशासन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

क्रेडिट जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार

1.10 रिज़र्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2025 को बेसल III मानकों के तहत क्रेडिट जोखिम-मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए पूंजी प्रभार पर मसौदा निदेश जारी किए। बेसल II मानकों के तहत मौजूदा मानदंडों की तुलना में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं: (i) कॉर्पोरेट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्थावर संपदा में एक्सपोजर के लिए सूक्ष्म जोखिम भार उपाय; (ii) विनियामकीय खुदरा श्रेणी के तहत 'लेनदेनकर्ताओं'[6] को शामिल करना; (iii) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर की गणना हेतु क्रेडिट रूपांतरण कारकों में संशोधन; और (iv) प्रत्येक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए, ग्रेड-वार डिफ़ॉल्ट इतिहास और बैंकों द्वारा समुचित सावधानी के आधार पर बाहरी रेटिंग वाले ऋणों पर लागू जोखिम भार के लिए उपयुक्त समायोजन। ये संशोधन बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता में सुधार लाने और विनियामक ढांचे को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने में मदद करेंगे।

संबंधित पक्षों को उधार देना

1.11 रिज़र्व बैंक ने मौजूदा प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए 3 अक्तूबर 2025 को एक सिद्धांत-आधारित संबंधित-पक्ष उधार मसौदा ढांचा जारी किया। मसौदा ढांचे में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों में, स्केल-आधारित तथ्यात्मकता सीमा की शुरूआत शामिल है, जिसके आगे आरई के संबंधित पक्षों को उधार देने के लिए बोर्ड या उसकी समिति के अनुमोदन और संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन पर उपयुक्त पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की जरूरत होगी।

निवेश अस्थिरता आरक्षित निधि की समीक्षा

1.12 बैंकों को, निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के विरुद्ध अतिरिक्त बफर प्रदान करने के लिए, एक निवेश अस्थिरता आरक्षित निधि (आईएफआर) बनाए रखना आवश्यक है।

[6] ट्रांज़ैक्टर का तात्पर्य क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड जैसी सुविधाओं के संबंध में देनदार हैं, जहाँ पिछले 12 महीनों में हर तय पुनर्भुगतान की तारीख को बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया है।

आईएफआर को बनाए रखने में बैंकों के सामने आने वाली कुछ परिचालनगत बाधाओं को दूर करने के लिए आईएफआर पर मौजूदा निर्देशों की व्यापक समीक्षा चल रही है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1.13 रिज़र्व बैंक, सतत संवृद्धि और वित्तीय स्थिरता के लिए एनबीएफसी के विनियमन और पर्यवेक्षण के सामंजस्य के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और अभिशासन मानकों को मजबूत करने हेतु कई उपाय कर रहा है।[7]

1.14 एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन ढांचा, उन एनबीएफसी के लिए अंतर-विनियामकीय उपचार की परिकल्पना करता है, जो जनता की निधियों का लाभ नहीं उठा रहे हैं और जिनका ग्राहक इंटरफेस नहीं है। इस पहल के लिए मौजूदा नियमों की समीक्षा चल रही है। इसके अलावा, एनबीएफसी द्वारा वास्तविक जोखिम विशेषताओं के साथ अवसंरचना के उधार के लिए जोखिम भार को संरेखित करने और अवसंरचना के वित्तपोषण की लागत को इष्टतम बनाने की दृष्टि से, एक सिद्धांत-आधारित ढांचा पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। इस दिशा में, बेहतर जोखिम मूल्यांकन और पूंजी आबंटन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परामर्श हेतु एक मसौदा ढांचा जारी किया गया है।

ऋण या निवेश संकेंद्रण मानदंड - सरकारी एनबीएफसी

1.15 जनवरी 2024 में जारी एक मसौदा परिपत्र में सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी को एनबीएफसी की प्रत्येक श्रेणी पर लागू क्रेडिट संकेंद्रण मानदंडों का विस्तार करने और उन्हें दी गई किसी भी मौजूदा व्यवस्था को वापस लेने का प्रस्ताव है। सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा उल्लंघनों (breaches) को परिपक्वता तक चलाने की अनुमति दी जाएगी। रिज़र्व बैंक वर्तमान में इस मामले पर अंतिम परिपत्र जारी करने की प्रक्रिया में है।

सहकारी बैंक

1.16 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन मजबूत अभिशासन, पेशेवर प्रबंधन, समय पर निगरानी और सुदृढ़ता के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता है।[8] नए यूसीबी के लाइसेंस को 2004 से रोक दिया गया है। हाल की अवधि में इस क्षेत्र में सकारात्मक घटनाक्रम की पहचान करते हुए, रिज़र्व बैंक ने नए यूसीबी के लाइसेंस पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया है।

1.17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के ग्राहकों को उपलब्ध वित्तीय उत्पादों के समुच्चय का विस्तार करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए, आरआरबी, यूसीबी और आरसीबी के लिए दिशानिर्देशों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में, इन संस्थानों के लिए पैराबैंकिंग गतिविधियों पर निदेशों को सरल बनाने और अद्यतन करने के लिए एक व्यापक मसौदा नीति प्रस्तावित है।

मुख्य जोखिम अधिकारी

1.18 वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी में मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति पर सामंजस्यपूर्ण निदेश प्रक्रियाधीन हैं।

नेट ओपन पोजीशन

1.19 विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना, स्वर्ण सहित विदेशी मुद्रा में एक विनियमित इकाई की नेट ओपन पोजीशन के संदर्भ में की जाती है। आरई की विभिन्न श्रेणियों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अधिक संरेखण और सुसंगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है।

---

[7] साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी - एनबीएफसी को मजबूत करना, चेन्नई में आयोजित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सम्मेलन में 28 मार्च, 2025 को श्री स्वामीनाथन जे. का भाषण।

[8] एक साथ काम करना, मजबूत हो रहा है: एक समुत्थानशील यूसीबी क्षेत्र के लिए जिम्मेदार शासन, शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए संगोष्ठी, सीएबी, पुणे में 11 जुलाई, 2025 को श्री स्वामीनाथन जे. का समापन भाषण।

नागरिक और विनियामक सेवाएं

1.20 रिज़र्व बैंक का संशोधित नागरिक चार्टर 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ, जो अपनी सेवा वितरण में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार के लिए रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई है। चार्टर में अब 204 सेवाएं हैं और उनकी समयसीमा को युक्तिसंगत बनाया गया है। सभी विनियामक सेवाएं, 'प्रवाह' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। यह आरई और व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन को डिजीटाइज करने के साथ-साथ उनसे प्राप्त अनुरोध और संदर्भ को संसाधित करने के लिए एक सुरक्षित, केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल है।

3. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

डिजिटल भुगतान

1.21 रिज़र्व बैंक ने उभरते जोखिमों से प्रणाली की सुरक्षा करते हुए वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए फिनटेक और पारितंत्र[9] के लिए एक सॉफ्ट-टच विनियमन दृष्टिकोण अपनाया। अर्थव्यवस्था को डिजिटल रूप से समावेशी बनाने के लिए भी विभिन्न उपाय किए गए। मार्च 2025 के अंत में, 15 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के 514 जिलों को पूरी तरह से डिजिटल रूप से सक्षम किया गया, जिले के प्रत्येक पात्र व्यक्ति के पास कम से कम एक डिजिटल भुगतान मोड तक पहुंच थी।[10] हर वर्ष मार्च में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए डिजिटल भुगतान तक पहुंच को आसान बनाने के लिए, सभी सिस्टम प्रतिभागियों को भारत सरकार द्वारा जारी सुगम्यता मानकों के अनुरूप अपनी भुगतान प्रणालियों/उपकरणों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली तक पहुंच का विस्तार

1.22 बड़ी मात्रा और/या उच्च मूल्य के भुगतान लेनदेन में लगी गैर-बैंक संस्थाओं की अतिरिक्त श्रेणियों के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों जैसे तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के लिए प्रत्यक्ष सदस्यता प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाएगा। इससे निपटान की समयसीमा कम होने, संकेंद्रण जोखिमों को कम करने और अधिक प्रतिस्पर्धा और नवोन्मेष को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सीमा पार भुगतान दक्षता को आगे बढ़ाना

1.23 रिज़र्व बैंक ने हाल ही में सीमा पार आवक भुगतान की दक्षता बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा प्रकाशित किया है। आंतरिक कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करके, भुगतान सूचना प्रोटोकॉल को मानकीकृत करके, और लगभग तत्काल निपटान तंत्र को अपनाकर, दिशानिर्देशों से प्रतिनिधि बैंकिंग चैनल के माध्यम से सीमा पार आवक भुगतान में देरी को संबोधित करने की उम्मीद है।

भुगतान प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीयकरण

1.24 रिज़र्व बैंक सक्रिय रूप से भारतीय भुगतान लिखतों की वैश्विक स्वीकृति को बढ़ावा देने और विस्तारित करने के उपायों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें सीमा पार व्यापारी (पी2एम) भुगतानों के लिए क्यूआर-आधारित एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) स्वीकृति को सक्षम करना; सीमा पार विप्रेषण की सुविधा के लिए यूपीआई को अन्य देशों में तेजी से भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ना; और इसी तरह की त्वरित भुगतान प्रणाली और घरेलू कार्ड योजना के विकास के लिए अन्य देशों में यूपीआई और रुपे प्रौद्योगिकी स्टैक की पेशकश करना शामिल है।

---

[9] 10 मार्च 2025 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के उद्घाटन के अवसर पर श्री संजय मल्होत्रा का संबोधन।

[10] वित्तीय समावेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाना- एक विनियामकीय परिप्रेक्ष्य, 09 जून 2025 को मुंबई में वित्तीय समावेशन के लिए आयोजित एचएसबीसी के कार्यक्रम में श्री एम. राजेश्वर राव का संबोधन।

रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण[11]

1.25 रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव रखा। सीमा पार व्यापार लेनदेन के लिए, अधिकृत डीलर (एडी), बैंकों को भूटान, नेपाल और श्रीलंका के अनिवासियों को रुपये का ऋण देने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने आईएनआर आधारित लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के लिए पारदर्शी संदर्भ दरें स्थापित करने का प्रस्ताव किया। विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते की शेष राशि को कॉर्पोरेट बॉण्ड और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश के लिए पात्र बनाया गया है।

4. उभरती हुई प्रौद्योगिकी को अपनाना

1.26 तकनीकी नवोन्मेष वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य को नया आकार दे रहा है। समय के साथ, वित्त में प्रौद्योगिकी की भूमिका परिचालन दक्षता में सुधार से पहले मैनुअल, खंडित प्रक्रियाओं को स्वचालित और केंद्रीकृत करने और ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के तरीके को तेजी से नया आकार देने की और स्थानांतरित हो गई है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) तेजी से वित्तीय नवाचारों के लिए नींव प्रदान कर रहा है[12] और समावेशन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिनटेक वित्तीय नवाचारों को आगे बढ़ा रहा है और डिजिटल विभाजन को पाटने के साथ-साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। रिज़र्व बैंक नवोन्मेष को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम विनियामक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। 'हार्बिंगर' पहल के माध्यम से, रिजर्व बैंक घरेलू और वैश्विक बाजारों के व्यक्तियों और संस्थाओं को समस्या विवरण के माध्यम से निर्दिष्ट क्षेत्रों में मौजूदा चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है ।

एकीकृत ऋण इंटरफेस

I.27 एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) विविध आंकड़ा स्रोतों से सूचना तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे यह ऋण देने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डीपीआई के रूप में स्थापित हो जाता है। यह मानकीकृत, प्रोटोकॉल-आधारित, संरचना और ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) ढ़ाचें के माध्यम से वित्तीय सेवा प्रदाताओं और कई आंकड़ा प्रदाताओं को एक साथ लाता है। प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर काम करते हुए, यूएलआई उधारदाताओं और आंकड़ा प्रदाताओं के बीच जटिल वन-टू-वन एकीकरण की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे उधारदाताओं को प्लेटफ़ॉर्म से एक बार जुड़ने और कुशल ऋण मूल्यांकन तथा निर्णय लेने के लिए आवश्यक आंकड़ा की एक विस्तृत शृंखला तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ई-केसीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूएलआई जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और आरआरबी के ग्राहकों तक भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। 12 दिसंबर 2025 तक यूएलआई से 41 बैंकों और 23 एनबीसीएफसी सहित 64 ऋणदाता जुड़े हुए हैं। ये ऋणदाता 12 विभिन्न प्रकार की ऋण यात्राओं[13] के लिए यूएलआई के माध्यम से 136 से अधिक डेटा सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमाणीकरण और सत्यापन सेवाएं, आठ राज्यों से भूमि रिकॉर्ड डेटा, उपग्रह सेवा, लिप्यंतरण, संपत्ति खोज सेवाएं, डेयरी अंतर्दृष्टि और ऋण गारंटी शामिल हैं। कुशल ऋण मूल्यांकन और निर्णय सक्षमता के लिए अतिरिक्त डेटा सेवाओं और डेटा स्रोतों को प्लेटफॉर्म पर शामिल किया जा रहा है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा

I.28 भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी), डिजिटल रुपया (ई₹), विशिष्ट उपयोग के मामलों के साथ एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित हो रही है। सीबीडीसी-

[11] भारतीय रिज़र्व बैंक (2025). विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 1 अक्तूबर.

[12] परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां और बैंकिंग: प्रमुख मुद्दे, श्री टी. रबी शंकर द्वारा मुंबई में 7 नवंबर, 2025 को 12वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव - 2025 में दिया गया मुख्य भाषण।

[13] किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल मवेशी, एमएसएमई (गैर-जमानती), आवास, व्यक्तिगत, ट्रैक्टर, सूक्ष्म व्यवसाय, वाहन, डिजिटल गोल्ड, ई-मुद्रा, पेंशन और डेयरी रखरखाव ऋण।

रिटेल में, राज्य सरकारों की विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के तहत कई पायलट परियोजना का परीक्षण किया गया। व्यक्तियों के लिए, चुनिंदा बैंकों के साथ उपयोगकर्ता स्तर की प्रोग्रामेबिलिटी शुरू की गई, जो व्यक्तियों को प्रोग्राम की गई डिजिटल मुद्रा को अन्य व्यक्तियों को अंतरित करने में सक्षम बनाएगी। सीमा पार के क्षेत्र के संबंध में, रिज़र्व बैंक ने यूएई और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय रूप से बातचीत की और हाल ही में बीआईएस इनोवेशन हब के नेतृत्व वाली बहुपक्षीय परियोजनाओं में भी शामिल हुआ।

फिनटेक क्षेत्र

I.29 रिज़र्व बैंक फिनटेक क्षेत्र के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, 2024-25 में लगभग 500 परस्पर वार्तालाप कार्यक्रम किए गए। इसके अतिरिक्त, फिनटरेक्ट और फिनक्वायरी जैसे संरचित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नव प्रवर्तकों और उद्यमियों के साथ नियमित रूप से चर्चाएं भी होती रहती है। 2024-25 के दौरान, फिनटेरैक्ट के 12 संस्करण और फिनक्वायरी के 10 संस्करण आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 1,100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। रिज़र्व बैंक ने फिनटेक क्षेत्र के लिए अधिक जानकारी पूर्ण और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सक्षम बनाने के लिए गतिविधियों, उत्पादों और प्रौद्योगिकी स्टैक पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने हेतु एक फिनटेक रिपॉजिटरी भी स्थापित की है। फिनटेक क्षेत्र में विविधता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 2024 में इस क्षेत्र में एक स्व-विनियामकीय संस्था (एसआरओ) को मान्यता प्रदान की ताकि फिनटेक कंपनियां बुनियादी अभिशासन मानकों और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ काम कर सकें।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

I.30 वित्तीय क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) वैकल्पिक आंकड़ा का उपयोग करके ऋण जोखिम मूल्यांकन और स्कोरिंग को बढ़ा सकती है, जिससे उधारदाताओं को उन ग्राहकों को ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सकता है जिनके पास पारंपरिक क्रेडिट इतिहास[14] नहीं है। निरंतर अद्यतन से, एआई वास्तविक समय में धोखाधड़ी और फर्जी खातों का पता लगाने में सुधार कर सकता है, साथ ही उधारकर्ताओं की जरूरतों और वित्तीय प्रवाह के अनुरूप अति-व्यक्तिगत ऋण समाधान प्रदान कर सकता है। एआई के माध्यम से ऋण मूल्यांकन और केवाईसी का स्वचालन लागत को कम करता है, वितरण में तेजी लाता है और दूरस्थ क्षेत्रों में छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। इसी तरह, शिकायत निवारण प्रक्रिया में एआई को एकीकृत करने से - शिकायत दर्ज करने से लेकर निपटान करने तक - के परिणामस्वरूप एक सहज, कुशल और डेटा-संचालित प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जिससे कार्य-निपटान समय कम हो सकता है।

I.31 तथापि, एआई में कई वृद्धिशील जोखिम शामिल हैं, जैसे मॉडल की व्याख्या में कमी, डेटा/अवधारणा में विचलन, स्वचालन के प्रति अत्यधिक संतुष्टि और एआई की निगरानी में कौशल की कमी, जिससे प्रणालीगत त्रुटियां या ऋण मूल्यांकन में त्रुटियां हो सकती हैं। अनुसंधान एजेंसियों को डेटा गोपनीयता, एल्गोरिथ्म पूर्वग्रह और नैतिक विचारों जैसी चुनौतियों के प्रति सचेत रहना चाहिए।[15]

I.32 इन चुनौतियों को पहचानते हुए, रिज़र्व बैंक का लक्ष्य एक ऐसा परितंत्र विकसित करना है जिसमें प्रणालीगत स्थिरता से समझौता किए बिना वित्तीय नवोन्मेष फलता-फूलता रहे। ऋण, परिचालन और अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों में आरई द्वारा मॉडलों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, और वित्तीय क्षेत्र में एआई को जिम्मेदार और नैतिक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने सभी मॉडलों पर लागू होने वाली एक व्यापक मॉडल जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव दिया है और दिसंबर 2024 में फ्री-एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए ढांचा)

---

[14] नवोन्मेष और विवेक को संतुलित करना - भारत के वित्तीय भविष्य में एआई की भूमिका, श्री एम. राजेश्वर राव का मुख्य भाषण, सीएनबीसी-टीवी18 बैंकिंग रूपांतरण सम्मेलन, मुंबई के तीसरे संस्करण में, 16 सितंबर, 2025।

[15] शिकायत निवारण में परिवर्तन: एआई से लाभ, श्री संजय मल्होत्रा का उद्घाटन भाषण, 17 मार्च, 2025, आरबीआई ओमबड्समैन, मुंबई के वार्षिक सम्मेलन में।

समिति का गठन किया गया था जिसने अगस्त 2025 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सिफ़ारिशों की जांच करने के बाद रिज़र्व बैंक यथा आवश्यक नीतिगत दिशानिर्देश तैयार/अद्यतन करेगा।

5. वित्तीय समावेशन

I.33 सतत वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न पहलें की हैं, जैसे कि वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना, वित्तीय साक्षरता परियोजनाओं के लिए केंद्र शुरू करना और डिजिटल भुगतान परितंत्र के विस्तार और गहनता कार्यक्रम को लागू करना। वित्तीय प्रणाली में किए गए नीतिगत प्रयासों को दर्शाते हुए, रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2017 में 43.4 से बढ़कर मार्च 2025 में 67.0 हो गया। इस सूचकांक की व्यापकता और मापदंडों में सुधार के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025-30

I.34 राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (एनएसएफआई): 2025-30 को 1 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। एनएसएफआई: 2025-30 का उद्देश्य हितधारकों के समन्वित प्रयासों से वित्तीय समावेशन परितंत्र को मजबूत करना है, ताकि आजीविका सहायकों, प्रभावी वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और मजबूत ग्राहक संरक्षण द्वारा समर्थित समान, जिम्मेदार, उपयुक्त और किफायती वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण की दिशा में काम किया जा सके।

1.35 वित्तीय समावेशन पहल के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है। रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की भी समीक्षा की जा रही है और एलबीएस के तहत डेटा रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत पोर्टल पर काम किया जा रहा है।

1.36 रिज़र्व बैंक जुलाई से अक्टूबर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर बैंक खातों के पुनःकेवाईसी के लिए देश व्यापी अभियान में सक्रिय रूप से शामिल था। रिज़र्व बैंक खाता धारकों की अदावी जमा राशि के निपटान के लिए एक अभियान से भी जुड़ा था।

उद्गम पोर्टल

1.37 उद्गम पोर्टल एक ही स्थान पर कई बैंकों में अदावी जमाओं / खातों की खोज की सुविधा प्रदान करता है; और प्रत्येक बैंक के दावे / निपटान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर एक एकीकृत पोर्टल विकसित करने के लिए काम कर रहा है ताकि बचतकर्ताओं और खुदरा निवेशकों को बैंक जमा, पेंशन निधि, शेयर और लाभांश जैसे सभी आस्ति-वर्गों में सभी अदावी आस्तियों का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके। एकीकृत पोर्टल नागरिकों के लिए उनके अदावी निधियों का पता लगाना सुगम बनायेगा ।

6. उपभोक्ता संरक्षण

I.38 उपभोक्ता संरक्षण वित्तीय प्रणाली में विश्वास और भरोसे को मजबूत करने का आधार है। यह सब ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार और एक कुशल शिकायत निवारण तंत्र पर निर्भर करता है। उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन शिकायतों में वृद्धि चिंता का विषय बनी हुई है। इस संबंध में, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत प्राथमिकता बनी हुई है।

आंतरिक ओमबड्समैन

I.39 आरई में आंतरिक ओमबड्समैन (आईओ) तंत्र की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 2025 में मसौदा मास्टर निदेश जारी किया। यह शिकायतों को आईओ के पास भेजने से पहले आरई के भीतर द्वि-स्तरीय शिकायत निवारण संरचना का प्रस्ताव करता है, और शिकायतकर्ताओं को मुआवजा देने और उनसे संपर्क करने की शक्तियाँ प्रदान करके आईओ का सशक्तिकरण करता है। इन उपायों से ग्राहकों की शिकायतों का समय पर और सार्थक समाधान करने, सेवा मानकों तथा उपभोक्ता विश्वास में सुधार करने में मदद मिलेगी।

ओमबड्समैन योजना

I.40 रिज़र्व बैंक - आंतरिक ओमबड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021 आरई के ग्राहकों को एक त्वरित, लागत प्रभावी और त्वरित वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करती है। इस योजना की व्यापक समीक्षा की गई, तथा परिचालन अनुभव, हितधारकों की प्रतिक्रिया और वैश्विक सर्वोतम प्रथाओं के आधार पर अक्टूबर 2025 में एक मसौदा योजना जारी की गई। इसके अलावा, इस योजना का दायरा राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों तक बढ़ाया गया, जो पहले नाबार्ड के तहत थे, और यह 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हुआ। ग्रामीण सहकारी बैंकों के ग्राहकों तक पहुंच की अनुमति देकर, यह योजना शिकायत निवारण को मजबूत करेगी और ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाएगी।

1.41 ग्राहक केंद्रित उपाय के एक हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले दो महीने का विशेष अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य आरबीआई ओमबड्समैन के पास एक महीने से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों को हल करना है।

शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) 2.0

1.42 रिज़र्व बैंक ने बेहतर ग्राहक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के साथ वर्तमान प्रणाली के उन्नयन के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) 2.0 का विकास किया है।

डिजिटल धोखाधड़ी

I.43 अब तक लागू किए गए कई ग्राहक सुरक्षा उपायों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन के प्रमाणीकरण पर एक सिद्धांत-आधारित ढांचा घोषित किया, जबकि साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए आरई के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन और निर्दिष्ट नंबरिंग शृंखलाएं शुरू की गईं। रिज़र्व बैंक डिजिटल और साइबर-सक्षम धोखाधड़ी को रोकने और ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों को विकसित करने और संचालित करने के लिए गृह मंत्रालय सहित हितधारकों के साथ काम करना जारी रखता है। आरई को मजबूत आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने, सभी स्तरों पर पर्याप्त शिकायत निवारण अधिकारियों को सुनिश्चित करने और डिजिटल धोखाधड़ी को दूर करने के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता है।

I.44 रिज़र्व बैंक की हाल ही के पहलों में MuleHunter.ai™ का विकास शामिल है, जिसका उद्देश्य संभावित अवैध खातों की पहचान और उन्हें चिह्नित करने के लिए सिस्टम-व्यापी शिक्षण को सुगम बनाना है, जिसे 17 दिसंबर 2025 तक 23 बैंकों में लागू किया जा चुका है; और एक डिजिटल भुगतान आसूचना प्लेटफॉर्म (डीपीआईपी) जो जोखिम भरे लेनदेन को चिह्नित करने और धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए जानकारी साझा करने के लिए एआई का लाभ उठाता है।

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना

I.45 अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता से संबंधित अनुदेश, जो 2017 में जारी किए गए थे, बैंकिंग परिदृश्य में बड़े बदलावों को देखते हुए, जिसमें नए भुगतान चैनलों का उदय, डिजिटल लेनदेन की उच्च मात्रा और विकसित होते धोखाधड़ी पैटर्न शामिल हैं, ग्राहक सुरक्षा में सुधार के लिए समीक्षा की जा रही है। इससे ग्राहकों की सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है।

ऋणों की गलत बिक्री और वसूली पर दिशानिर्देश

1.46 आरई द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की गलत बिक्री का ग्राहकों के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होता है। इसलिए, गलत बिक्री की रोकथाम से संबंधित पहलुओं सहित वित्तीय उत्पादों/सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री पर आरई की विभिन्न श्रेणियों को व्यापक निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, वसूली एजेंटों की नियुक्ति और ऋणों की वसूली से संबंधित आचरण संबंधी मामलों पर मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा करने और इस संबंध में सामंजस्यपूर्ण निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है।

जमाराशि बीमा

I.47 जमाराशि बीमा वित्तीय सुरक्षा जाल का एक प्रमुख तत्व है। नैतिक खतरे की समस्या को कम करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2025 में मौजूदा फ्लैट रेट प्रीमियम प्रणाली से हटकर जोखिम-आधारित जमा बीमा प्रीमियम में जाने के फ्रेमवर्क को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें प्रति वर्ष मूल्यांकन योग्य जमा के प्रति ₹100 पर 12 पैसे का मौजूदा फ्लैट-रेट प्रीमियम अधिकतम सीमा के रूप में कार्य करता है। प्रस्तावित ढांचे का उद्देश्य प्रीमियम दरों को बैंकों के जोखिम प्रोफाइल से जोड़कर ठोस जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है और इस तरह बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाना है।

7. जलवायु वित्त

I.48 जलवायु जोखिम - भौतिक और संक्रमण दोनों - वित्तीय स्थिरता के लिए भौतिक खतरे पैदा करते हैं, ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों को प्रभावित करते हैं। लचीलेपन को मजबूत करने के लिए, मजबूत डाटा अवसंरचना और सूचना प्रवाह तंत्र द्वारा समर्थित व्यापक जलवायु जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता है। प्रस्तावित रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) और जलवायु-जोखिम संबंधी प्रकटीकरण को विकसित करने के लिए चल रहे कार्य वित्तीय जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन में जलवायु विचारों को एकीकृत करने की दिशा में एक व्यवस्थित बदलाव को दर्शाते हैं। इसके साथ ही, प्रौद्योगिकी को एक सहायक कारक के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन जोखिमों पर आधारित विषय-तटस्थ समूह के तहत 'ऑन-टैप' अनुप्रयोगों के प्रस्ताव और इस क्षेत्र में सतत नवोन्मेष को बढ़ावा देने की पहल के रूप में विनियामक सैंडबॉक्स के तहत धारणीय वित्त शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरई) को संरचित कौशल विकास में निवेश करने और बोर्ड स्तर पर मार्गदर्शन तथा शीर्ष नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता है ताकि भौतिक और संक्रमणकालीन जोखिमों और धारणीय वित्त को मुख्य रणनीति में एकीकृत किया जा सके। जलवायु वित्त एक राष्ट्रीय अनिवार्यता और सामूहिक जिम्मेदारी दोनों है और इसके लिए विनियामकों, संस्थानों, सरकारों और वैश्विक हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।[16]

8. समग्र मूल्यांकन

I.49 बैंक और एनबीएफसी मजबूत पूंजी बफर, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और सुदृढ आय द्वारा सुदृढ़ बने हुए हैं, जिससे उत्पादक क्षेत्रों और कम सेवा वाली आबादी के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित हो रहा है। रिज़र्व बैंक घरेलू स्तर पर सुरक्षित और अंतर-संचालित डिजिटल भुगतान और वैश्विक भुगतान प्रणालियों के साथ उनके एकीकरण को जारी रखता है। यह वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी को जिम्मेदार तरीके से अपनाने और वैकल्पिक डेटा के उपयोग को भी सक्षम बना रहा है। रिज़र्व बैंक की विनियाकीय और पर्यवेक्षी नीतियां साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, धोखाधड़ी को कम करने, ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने, जलवायु जोखिम जागरूकता को एकीकृत करने और वित्तीय स्थिरता को एक व्यापक लक्ष्य के रूप में संरक्षित करने पर केंद्रित हैं। स्थिरता के साथ वित्तीय नवाचारों का संतुलन, जनता के विश्वास की मजबूती और सतत संवृद्धि का समर्थन, रिज़र्व बैंक की नीतियों के मार्गदर्शक बने रहेंगे।

[16] भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त पर आयोजित नीति संगोष्ठी में 13 मार्च, 2025 को श्री संजय मल्होत्रा का मुख्य भाषण।